

फर्द अहकाम

नियम- 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

देवतराम आदि

बनाम

स्टेट आदि

किस्म मुकदमा :- 251ए आरटीएक्ट( रास्ता )

मुकदमा नम्बर :- 1.../25

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज   | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुआ |
|------------|---|--|
| 11.03.2025 | <p>यह प्रार्थना पत्र जरिये प्रार्थीगण स्वयं द्वारा पूर्व में तहसीलदार राजस्व भादरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा मय रिपोर्ट दिनांक 11.03.2025 को न्यायालय हाजा में भिजवाया गया। प्रकरण पर सिंगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट प्रार्थीगण द्वारा विभाजन हेतु तहसीलदार राजस्व भादरा के समक्ष राजीनामा अनुसार विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता सं० 104/85 के मु० न० 36, 37, 42 कुल रकबा 10.120 है० बारानी खातेदारी संयुक्त मुश्तफा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार रास्ता का अंकन किया जाना है इस हेतु तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा रास्ता भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु रास्ता अंकन किये जाने बाबत पत्रावली न्यायालय हाजा को भिजवाई गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुताबिक राजीनामा अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय रंगदार नक्शा पेश किया गया। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट व प्रार्थी की प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट रोही चक 4 बारानी के मु० न० 36 के किला न० 5/2 की 0.012 है०, 5/4 की 0.001 है०, 1/2 की 0.010 है०, मु० न० 37 के किला न० 1/4 की 0.003 है०, किला न० 2/2 की 0.013 है०, 3/2 की 0.022 है०, 8/2 की 0.013 है०, 13/2 की 0.013 है०, 18/2 की 0.021 है०, किला न० 23/2 की 0.013 है० में रास्ता का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। एवं यदि कृषि भूमि पर कोई विवाद किसी सक्षम न्यायालय में लम्बित/जैरकार ना हो व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन ना हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।</p> |  |



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

